

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2017

विषय :- उOप्रO खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया खाद्य प्रसंस्करण विभाग के शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक: 21.12.2017, जिसके द्वारा उOप्रO खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-21.12.2017 में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

दिशा-निर्देश का प्रस्तर	पूर्व प्राविधान	संशोधित/अद्यतन प्राविधान
1.	नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता: इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/ 2017/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।	नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता: इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/ 2017/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी। आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
2.	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें: उOप्रO खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:-	वित्तीय अनुदान एवं रियायतें: उOप्रO खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां की स्थापना, पूर्व से स्थापित इकाईयां के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी :-
2.1 (क)	पूँजीगत निवेश अनुदान:- खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयां की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 50 लाख की सीमा तक दो समान किशतों में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।	पूँजीगत निवेश अनुदान:- खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयां की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 50 लाख की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यमी के पास ज्ञात स्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।



(2)

(ख)	<p>भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शाकभाजी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन) इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान दो समान किशतों में उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	<p>भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शाकभाजी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन) इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
(ग)	<p>भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, जिनमें पात्र परियोजना लागत न्यूनतम पूंजी निवेश रु. 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार के पैटर्न पर 4 (चार) किशतों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	<p>भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, जिनमें पात्र परियोजना लागत न्यूनतम पूंजी निवेश रु. 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार के पैटर्न पर 4 (चार) किशतों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
3.	<p>आवेदन पत्र की प्राप्ति:- वितीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर डालकर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियाँ में स्टेट नोडल एजेंसी (निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 30प्र0.) को प्रस्तुत करेंगी।</p>	<p>आवेदन पत्र की प्राप्ति:- वितीय सहायता अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर डालकर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित एक प्रति में स्टेट नोडल एजेंसी (निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 30प्र0.) को प्रस्तुत करेंगी।</p>
3.1	<p>उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेंसी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की तिथि को शत-प्रतिशत निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत-प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।</p>	<p>उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित पूंजीगत उत्पादन एवं ब्याज उत्पादन के आवेदन एक साथ व्यवसायिक उत्पादन शुरू किये जाने से दो माह पूर्व यथासम्भव नोडल एजेंसी को उपलब्ध कराना आवश्यक है।</p>
3.3	<p>उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उत्पादन के आवेदन व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगी।</p>	<p>विलोपित।</p>
8.	<p>आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख</p>	<p>आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख</p>
8.1	<p>पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/ विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उन्नयन, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-भाजी इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख। (5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक हैं। (एनकेजर-ए/2)</p>	<p>पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उत्पादन योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण उन्नयन, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-भाजी इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख। (5) विलोपित।</p>



	(6) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जाँच कर ली गई है और वह नियमानुसार ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण।(एनेक्जर-ए/3)	(6) विलोपित।
	(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/7)	(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार (स्टीमेंट पर आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/7)
	(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) का प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/8)	(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (कोटेशन/एन्वाइस आधारित) प्रमाणित विवरण। (एनेक्जर-ए/8)
	(10) संगठन के आफिस बियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।	(10) विलोपित।
	(11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षों हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेंट और वार्षिक प्रतिवेदन।	(11) विलोपित।
	(12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लू प्रिन्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।	(12) बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित मानचित्र एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
	(14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।	(14) विलोपित।
	(15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र।	(15) विलोपित।
	(16) अग्निशमन प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी)।	(16) विलोपित।
	(17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंस।	(17) विलोपित।
	(18) मांस प्रसंस्करण इकाई हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	(18) विलोपित।
	(19) परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस ।	(19) विलोपित।
	(20) ₹. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र की उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए/6)	(20) ₹. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र की उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। (एनेक्जर-ए/6)
	(21) ₹. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity) (ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर-ए/9)	(21) विलोपित।
	(22) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अन्तर्गत:- (अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि। (ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि। (स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि। (द) प्लान्ट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि। (य) प्लान्ट और मशीनरी के स्थापन/संस्थापन की तिथि। (र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि। (ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।	(22) विलोपित।
8.2	ब्याज उपादान हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:-	विलोपित।



8.2.1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान सम्बन्धी)।	विलोपित।
8.2.2	निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर- ए/14)	विलोपित।
8.2.3	निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-ए/4) पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।	विलोपित।
8.2.4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि हेतु अवमुक्त आदेश। (सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों हेतु)	विलोपित।
8.3	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-बी) पर आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष संस्था द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की मंत्रालय द्वारा सत्यापित प्रतियां।	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-बी) पर आवेदन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां।
8.4	रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-क्लिंग वैंस हेतु वांछित अभिलेख: (6) संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि। (11) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि - (अ) संस्था द्वारा रीफर व्हेकिल्स/प्री-क्लिंग वैंस का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जॉब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा। (ब) यह कि संस्था द्वारा जॉब वर्क के लिए स्टेक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है। (स) यह कि मैं रीफर व्हेकिल्स/प्री-क्लिंग वैंस का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जायेगा। (12) न्यूनतम रु. 100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि- (अ) कि संस्था/इसके सहयोगी संस्था/ कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित। (ब) यह कि संस्था द्वारा किसी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/भारत सरकार की संस्था/संगठन और राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए के लिए न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है। (13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रीफर वैं के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात् प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि ) से सम्बंधित प्रमाण पत्र।	रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-क्लिंग वैंस हेतु वांछित अभिलेख: (6) विलोपित। (11) विलोपित।  (12) आंशिक संशोधित। (रु-100 के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ-पत्र)  (13) विलोपित।  (15) रीफर व्हीकल/मोबाइल प्री-क्लिंग वैं हेतु चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का विवरण। (एनेक्जर- ए/12)



<p>9. पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया: अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किश्तों में जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेंजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने/अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपॉजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेन्सी विभाग को वापस करनी होगी।</p>	<p>पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया: पूँजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान अवमुक्त करने की प्रक्रिया अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात जारी की जायेगी। अनुदान धनराशि अप्रेंजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के टर्म लोन खाते में जमा किया जायेगा। धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद अवमुक्त की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षों के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो अवमुक्त की गयी धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेन्सी विभाग को वापस करनी होगी।</p>
<p>9.1 (क) पूँजीगत अनुदान की प्रथम किश्त का अवमुक्त किया जाना: संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50 धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त की जायेगी:-</p> <p>(1) लाभार्थी/संस्था द्वारा ₹. 100/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity) पत्र (एनेग्जर-ए/9)</p> <p>(2) लाभार्थी/संस्था द्वारा ₹.100/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेग्जर-ए/10)</p> <p>(3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50 प्रतिशत टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/12)</p> <p>(4) चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50 प्रतिशत या अधिक अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (एनेग्जर-ए/4)</p> <p>(5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेग्जर-ए/3)</p> <p>(6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। (एनेग्जर-ए/2)</p>	<p>आंशिक संशोधित।</p> <p>इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित अभिलेख प्राप्त कर अनुदान धनराशि अवमुक्त की जायेगी:-</p> <p>(1) लाभार्थी/संस्था द्वारा ₹.100/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। (एनेग्जर-ए/10)</p> <p>(2) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र की उन्हे राज्य द्वारा अनुदान की धनराशि अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/11)</p> <p>(3) किये गये निर्माण कार्य हेतु सी0ए0 प्रमाण-पत्र (एनेग्जर-ए/2)</p> <p>(4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 प्रमाण-पत्र (एनेग्जर-ए/3)</p> <p>(5) चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित निर्धारित रूप पत्र पर प्रमाण पत्र (एनेग्जर-ए/4)</p> <p>6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार किये गये निर्माण का विवरण। (एनेग्जर-ए/7)</p> <p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण। (एनेग्जर-ए/8)</p> <p>(8) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इन्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियर्स मेमोरेन्डम (आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।</p> <p>(9) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंस।</p> <p>(10) ₹. 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of indemnity)। (ब्याज उपादान हेतु एनेग्जर-ए/9)</p> <p>(11) निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट।</p>



<p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक हैं तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित (एनेग्जर-ए/7)</p> <p>(8) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची (एनेग्जर-ए/8)</p> <p>(9) अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त से पूर्व निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।</p> <p>(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p>	<p>(12) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p> <p>(13) मेगा फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष आवश्यक प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।</p>
<p>9.2 (ख) पूँजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का जारी किया जाना:</p> <p>अनुदान की द्वितीय किश्त इकाई में व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100 प्रतिशत धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 100 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किश्त उपयोग कर लिये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी:-</p> <p>(1) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0- जी0एफ0आर0 19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेग्जर-ए/5)</p> <p>(2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100 प्रतिशत अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। (एनेग्जर-ए/4)</p> <p>(3) बैंक/वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र की उनके द्वारा 100 प्रतिशत टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हें राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। (एनेग्जर-ए/12)</p> <p>(4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जांच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/वाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। (एनेग्जर-ए/3)</p> <p>(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। (एनेग्जर-ए/2)</p>	<p>विलोपित।</p>


<p>(6) चार्टर्ड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। (एनेग्जर-ए/7)</p> <p>(7) चार्टर्ड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। (एनेग्जर-ए/8)</p> <p>(8) नोटरीकृत जमानती शपथ पत्र- निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य हैं इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। (एनेग्जर-ए/6)</p> <p>(9) निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये की परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किशत अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।</p> <p>(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किशत सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)</p> <p>(10.1) मेगा फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्यापित) आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।</p>	
<p>10. ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया: आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाईल प्री-क्लिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेग्जर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15) पर जारी प्रमाण-पत्र स्टेट नोडल एजेन्सी फूड प्रोसेसिंग को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन-पत्र (एनेग्जर-ए अथवा सी) वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात् इकाई से नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (एनेग्जर-ए/9) सम्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध के उपरान्त स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>आंशिक संशोधित।</p> <p><b>ब्याज उपादान अवमुक्त करने हेतु प्रक्रिया:</b></p> <p>(1) आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाईल प्री-क्लिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (एनेग्जर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15) पर क्लेम।</p> <p>(2) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित तथा बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं- जी०एफ०आर० 19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। (एनेग्जर-ए/5)</p>
<p>13. प्रशासनिक व्यय:</p>	<p>विलोपित।</p>
<p>13.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।</p>	<p>विलोपित।</p>



13.2	वृहत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं मेगा फूड पार्क के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।	विलोपित।
------	---	----------

3. 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश विषयक उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक: 21.12.2017 को इस सीमा तक तत्काल प्रभाव से संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष व्यवस्था/शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

  
( सुधीर गर्ग )


प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2018/205 (1)/58-2-2019, तद्विनांकः

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्राथम एवं द्वितीय), 30प्र0, इलाहाबाद।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानुपर।
- (8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
- (9) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 को इस आशस से कि इस शासनादेश एवं गाइड लाइन की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
- (12) गार्ड फाईल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

  
( शकील अहमद सिद्दीकी )

अनु सचिव।



**(Letter Head of the Bank)**

**(For Scheme of Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries)**

**Certificate**

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s ..... (Name and address of the organization) for **Technology Up gradation / Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries** of------(Details of Project UP. Food Processing Industry Policy-2017 grant as per guidelines of the scheme and also sanctioned term loan of Rs. ....lakh (if applicable).
2. It is further certified that we have released Rs..... lakh (-----% of sanctioned term loan) to M/s ..... (Name and address of the organization).
3. We have no objection in releasing of grant if sanctioned by the department of Horticulture & Food Processing, Government of Uttar Pradesh.
4. The bank is agree to adjust the grant in term loan account of the organization.

(Signature)

(Name)

(Branch Manager)

(Branch IFSC Code)



**(Letter Head of Chartered Engineer - Mechanical)**  
**Format for Technical Details of Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van.**

Chassis no. of reefer vehicle/mobile pre-cooling van. :

Make/model :

S. no.	Reefer Vehicle/Mobile pre-cooling van	Technical Description
1.	Container dimensions	20 Standard : 8x8.5'x20', 27 to 28 cum
2.	Insulation details	Thermal Conductivity value/mm
3.	Tare weight	kgs
4.	Gross weight	kgs
5.	Temperature recording	Type
6.	GPS System	Must be fitted
7.	Refrigeration capacity	kw
8.	Refrigerant used	Technical Name of refrigerant
9.	Fresh air exchange	Describe system fitted
10.	Diesel/electric auto switching	Describe dual power unit.
11.	Air flow cum/hr (CFM)	Evaporator air flow in CFM
12.	Temperature control precision +/- <sup>0</sup> C	Precision in controls in <sup>0</sup> C
13.	Name of Manufacturer	
14.	Year of Manufacture	
15.	Any design enhancement	Describe design changes in any

Date \_\_\_\_\_

Signature and Seal of Chartered Engineer (Mechanical)